Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर आयुक्तालय में पुलिस थाना सदर बाजार का थानाधिकारी एवं सहायक उपनिरीक्षक 3 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *22 मार्च, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर इकाई द्वारा दिनांक 21–3–2023 को देर रात कार्यवाही करते हुये सुरेश पटोलिया पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी एवं नन्दकिशोर सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना सदर बाजार, जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर को परिवादी से **3 लाख 50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट पर दूसरे पक्ष के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की एवज में सुरेश पटोलिया पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी एवं नन्दकिशोर सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना सदर बाजार, जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर द्वारा **5 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी जोधपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित** के निर्देशन में द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह** द्वारा मय **पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव** एवं टीम के देर रात ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुरेश पटोलिया पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाजार, जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर एवं नन्दकिशोर पुत्र श्री कानाराम निवासी गोवा, तहसील एवं जिला नागौर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना सदर बाजार, जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर को परिवादी से **3 लाख 50 हजार** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।